

कार्यालय:-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०।

(फार्म-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 23 अगस्त, 2011

आदेश

मुख्यालय के आदेश संख्या फार्म / स०द०-अनुभाग-फार्म-38 व्यवस्था/ 2011-12/ 1112014 / 26 / वाणिज्य कर दिनांक 4.5.11 विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर आयात घोषणा (फार्म 38) प्राप्त किये जाने से संबंधित प्राविधान जारी किये गये हैं।

इन प्राविधानों के अन्तर्गत पैरा-2 के बिन्दु संख्या- 3 में निम्न प्राविधान किया गया है :-

" यह सुविधा संवेदनशील वस्तुओं, जिन्हें कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा चिन्हित किया जाये, पर अनुमन्य नहीं होगी । "

विभागीय वेबसाइट से फार्म-38 डाउनलोड कर प्राप्त करने की दृष्टि से निम्न वस्तुओं को संवेदनशील वस्तु घोषित किया जाता है :-

- 1- कोयला
- 2- आयरन एण्ड स्टील
- 3- वनस्पति घी
- 4- रिफाइन्ड आयल
- 5- सुपाडी
- 6- पटिया-पत्थर, बदरपुर, रोडी-गिट्टी, मोरंग, बालू/रेता, खण्डा पत्थर (इमारती पत्थर को छोड़कर)

अतः उपरोक्त वस्तुओं के आयात किये जाने हेतु फार्म-38 विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर, प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

आदेश संख्या-फार्म/स०द०-अनुभाग-फार्म-38 व्यवस्था // 2011-12 // 1112014 // 26 // वाणिज्य कर दिनांक 4.5.11 से जारी किये गये अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप तात्कालिक प्रभाव से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्रसंख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/निबन्धन उ०प्र०वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधि० वाणिज्य कर उ०प्र०।
3. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उ०प्र०शासन, लखनऊ।
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
5. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि० नु०शा०/अपील) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
6. एडीशनल कमिश्नर (प्रशिक्षण)वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान गोमती नगर लखनऊ।
7. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि० नु०शा०/उ०न्या०कार्य०/सर्वो०न्या०कार्य०)वाणिज्य कर उ०प्र०।
8. समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय लखनऊ।

(एम० के० श्रीवास्तव)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (फार्म / स०द०) वाणिज्य कर,

मुख्यालय, लखनऊ।